



**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)**

**women related महोबा |**

सत्र परीक्षण संख्या 502/2023

सरकार बनाम धीरेन्द्र सिंह,

मु0अ0सं0-165/2023

धारा-323,342,506,376 भा0 दं0 सं0

थाना कुलपहाड़ जिला महोबा।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 216 दं0 प्रं0 सं0**

**दिनांक 06.03.2025**

पत्रावली पेश हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 8क दिनांकित 12.12.2024 पर सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त पत्रावली में अभियुक्त के मोबाइल गिरफ्तारी के साथ बरामद हुआ जिसकी फर्द बनायी गयी है। मोबाइल में अभियुक्त ने पीडिता का अश्लील वीडियो भी बनाया गया है। जिसकी डी0वी0डी0 भी पत्रावली में संलग्न की गयी है। इसलिये उक्त पत्रावली में 67 आई0टी0 एक्ट का आरोप बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। याचना की गयी कि उक्त पत्रावली में धारा 67 आई0टी0 एक्ट में चार्ज बनाये जाने की कृपा करें।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन का प्रार्थना पत्र कागज संख्या 8क स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली में 67ए आई0 टी0 का आरोप विरचित किया जाये। बाद आरोप पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.04.2025 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
(एफ0टी0सी0) महोबा।